संख्या– 221/XV-3/2019-08(03)/2017

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य) देहरादूनः दिनांक 26 मार्च, 2019

विषय– **नाबार्ड की RIDF-XVIII से XXIV योजनान्तर्गत विभिन्न विभागों की स्वीकृत परियोजना हेतु नाबार्ड द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या–187/01(110)-2016/XXVII(1)/2019, दिनांक 07.03.2019 एवं सहायक महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–राबै.उत्तराखण्ड/3449/एडी (एलओएस)–15/2018–19, दिनांक 07.03.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में मत्स्य विभाग में नाबार्ड की RIDF-XVIII से XXIV योजनान्तर्गत संलग्नक **परिशिष्ट–'क'** की तालिका के स्तम्भ–3 में उल्लिखित राजकीय मत्स्य प्रक्षेत्र, धौरा (किच्छा) में फिश फार्म, स्टोर, बाउन्ड्रीवाल रिपेयरिंग तथा अन्य विविध निर्माण कार्य एवं राजकीय मत्स्य प्रक्षेत्र, हैमपुर हैचरी में रेनोवेशन एवं मोडिफिकेशन के कार्यों हेतु अनुमोदित धनराशि रू० 596.77 लाख के सापेक्ष नाबार्ड द्वारा ऋण के रूप में अनुमोदित कुल धनराशि रू० 566.93 लाख में से शासनादेश संख्या–663/XV-3/2018-08(03)/2017, दिनांक 09 जुलाई, 2018 द्वारा प्रथम किश्त धनराशि रू० 170.079 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने के उपरान्त प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में तालिका के स्तम्भ–12 के अनुसार **रू० 108.25 लाख (एक करोड़, आठ लाख, पच्चीस हजार मात्र)** की धनराशि स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) उक्त धनराशि इस शर्त के साथ आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि संलग्न विवरण में उल्लिखित कार्यों हेतु अनुबंधित कार्यदायी संस्थां को उनके साथ हुए अनुबन्ध/एम0ओ0यू0 में भुगतान की निहित शर्तों के अनुसार आवश्यकतानुसार ही कार्य की भौतिक प्रगति के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

(2) संलग्न विवरण में उल्लिखित कार्यों हेतु उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय करते समय इन कार्यों की स्वीकृति के संबंध में राज्य योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)-2017/XXVII (1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 व अन्य सुसंगत शासनादेशों में प्रदत्त दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(4) आदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु जारी **Allotment ID** की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(5) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण व्यवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(7) कार्य हेतु अनुमोदित आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

क्रमशः......2

(8) धनराशि का आहरण व व्यय तभी किया जायेगा, जब विभाग द्वारा नाबार्ड से योजनाओं को पूर्ण किये जाने की अवधि का विस्तार संबंधी स्वीकृति तथा प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करने के साथ नाबार्ड की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।

(9) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत मदवार धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(10) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

(11) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय तथा आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(12) कार्य की प्रगति की निरंतर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्व रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर **उपयोगिता प्रमाण–पत्र, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति** योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के **फोटोग्राफ** सहित संकलित सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(14) किसी भी क्रय/विक्रय हेतु अधिप्राप्ति (प्रोक्यौरमेन्ट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रहों के अनुसार, आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी०जी०एस०एन०डी० की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूंजीगत मद में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4405–मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन,–**98 01 नाबार्ड पोषित योजनाएँ**–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं। आदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु **Allotment ID-**3190328 0492, दिनांक २८/२/२०१९ की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या–221 (/)/XV-3/2019-08(03)/2017,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. निदेशक, कोषागार साईबर ट्रैजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
5. राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उधमसिंह नगर।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्रबहादुर)
अनु सचिव।

परिशिष्ट–'क'

शासनादेश संख्या–221/XV-3/2018-08(03)/2017, दिनांक 26 मार्च, 2019 का संलग्नक

RIDF- XXIII- Fish Farm Projects

Amount in ` Lakh

Sr. No.	PIC	Name of Project	Type of Projects	District	Construction Agency	Total Cost	Balance Cost (TFO)	RIDF Loan Sanctioned	Further State Govt. Contrib.	RIDF Loan Disbursed	Amount to be released In fy-2018-19
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1	P2018210000000000665	Repairing of Govt. Fish Farm and Construction of Office cum Store boundary wall & other miscellaneous works at Dhaura, Kichha	Inland Fisheries	Udham Singh Nagar	Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikash evam Nirman Nigam	293.00	293.00	278.35	14.650	53.15	**53.15**
2	P2018210000000000666	Renovation and Modification of Fisheries Farm, Hempur	Inland Fisheries	Udham Singh Nagar	Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikash evam Nirman Nigam	303.77	303.77	288.58	15.190	56.10	**56.10**
	Total					**596.77**	**596.77**	**566.93**	**29.84**	**108.25**	**108.25**

अवमुक्त की जा रही कुल धनराशि रू० 108.25 लाख (रूपये एक करोड़, आठ लाख, पच्चीस हजार मात्र)

(चन्द्रबहादुर)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Fisheries (S014)

आवंटन पत्र संख्या - 221/XV-3/2019-08(03)/2017, Dt. 26.03.2019

अलोटमेंट आई डी - S1903280492

अनुदान संख्या - 028

आवंटन पत्र दिनांक -26-Mar-2019

HOD Name - Director Fisheries (4362)

1: लेखा शीर्षक 4405 - मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय 00 -

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन 98 -

01 -

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अन्य व्यय	30887100	10825000	41712100
	30887100	**10825000**	**41712100**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 10825000